(76)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1843–एक/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 61/अपील/1990–91

.....

रूपनारायण पुत्र भंवरलाल किरार
निवासी ग्राम प्रेमगढ़ तहसील राधौगढ़
जिला गुना म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–रामचरन पुत्र श्री बैजनाथ किरार
2–प्रेमबाई पुत्री बैजनाथ किरार
निवासी ग्राम पारकना तहसील राधौगढ
जिला गुना

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0धाकड़, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/4/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय राधौगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 10/अ–6/1985–86 में दिनांक 25–8–1987 को आदेश पारित कर ग्राम पारकना स्थित भूमि सर्वे नम्बर 478 रकबा 1.296 हेक्टेयर पर सशर्त

नामान्तरण विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–10–1990 को आदेश पारित तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–9–2005 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों के आधार पर करने का अनुरोध किया गया । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा दिनांक 18–4–1981 को पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गई है, तब से आवेदक उस पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है तथा उसके द्वारा भूमि पर फसल बाई जा रही है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 109, 110 का विधिवत् पालन करते हुये नामान्तरण आदेश पारित किया है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, अतः तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है ।

4/ अनावेदकगण की ओर से प्रकरण में कोई उपस्थित नहीं हुआ है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा सशर्त विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक का नामान्तरण प्रश्नाधीन भूमि पर स्वीकृत किया गया है, जबकि सशर्त बैनामे से प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत्

अन्तरण मान्य नहीं किया जा सकता है, अतः तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये उनके आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर